



उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-2  
संख्या- 17/2021/ 506 /77-2-21-9(बजट)/2017  
लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2021

**कार्यालय-ज्ञाप**

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग में अभिसूचना के स्रोतों के विकास के लिए गुप्त सेवा व्यय हेतु बजट प्राविधानित धनराशि ₹0 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) आवंटित करते हुए उसे नियमानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। उक्त स्वीकृत धनराशि के नियंत्रक अधिकारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन होंगे। उक्त धनराशि का आहरण कर भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ के खाता संख्या-37637394124 में हस्तान्तरित की जायेगी।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन द्वारा गुप्त सेवा व्यय के देयकों का आहरण, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से डीडीओ कोड संख्या-2057 से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- उक्त व्यय की सम्परीक्षा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए यह विशेष रूप से आवश्यक है कि उक्त धनराशि का व्यय पूरी छानबीन के उपरान्त किया जाय। इस संबंध में धनराशि का आहरण तथा व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-V भाग-1 के प्रस्तर-206 में निर्धारित प्रक्रिया एवं सम्प्रेक्षा की व्यवस्था के अनुसार किया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-अभिसूचना के स्रोतों का विकास-23-गुप्त सेवा के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त अधिकार प्रतिनिधायन के तहत जारी किये जा रहे हैं।

अनिल कुमार  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन ।
- 4- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ०प्र० कानपुर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सचिव, उद्योग शाखा उ०प्र० शासन।
- 7- नोडल अधिकारी/अनु सचिव, बजट एलाटमेंट सिस्टम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ।
- 8- अनुभाग अधिकारी (लेखा) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-5
- 9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)  
संयुक्त सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।